P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-12* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

कैदियों के व्यक्तित्व विकास में समाचार–पत्रों की भूमिका (जनपद देहरादून के जिला कारागार के कैदियों पर आधारित अध्ययन)

प्रवीण कुमार
शोध छात्र,
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून, उत्तराखंड
भारत

परितोष सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
डी0बी0एस0 पीजी कॉलेज,
देहरादून, उत्तराखंड
भारत

सारांश

कैदी शब्द सुनते ही हमारे दिलों–दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर उभर कर सामने आती है, जिसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है। कैदी की ये वेश–भूषा, भले ही हमने हकीकत में नहीं देखी हों, लेकिन फिल्मों और अखबारों में ऐसी तस्वीर देखकर हम कल्पना की दुनिया में कैदी की ऐसी ही तस्वीर बना लेते हैं, साथ ही उन्हें भय और हिकारत की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। सच तो यह है कि कैदी भी हमारे समाज का ही हिस्सा हैं, जो किसी जाने–अनजाने कारणों से समाज की परंपराओं और कानून तोड़कर अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि देश–समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कानून बनाए जाते हैं और जिन व्यक्तियों ने कानून का उल्लंघन किया है, उन्हें कानून तोड़ने की सजा समाज से दूर रहकर कारागार में भुगतना होता है। ऐसा सदियों से होता आया है। वैदिक काल में भी जब कोई व्यक्ति समाज की परंपराओं को तोड़ता था तो उन्हें भी सजा देने का प्राविधान था। सजा कई प्रकार से दी जाती थी, जिनमें, सामाजिक बहिष्करण, सामाजिक कार्यकलापों से उक्त आरोपी को दूर रखना आदि भी शामिल थे। परंतु कालांतर में अपराधियों के अपराध की सजा के लिए कारागृह या कारागार में रखने का प्राविधान किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कारागार में डाल दिया जाता था एवं उन्हें तरह–तरह की शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं भी दी जाती थी। स्वाधीनता के पश्चात् कारागार अब यातनाओं का केन्द्र न होकर, सुधार गृह के रूप में तब्दील हो रहा है। प्राचीन समय में सजा का स्वरूप दमनात्मक था परंतु आधुनिक समय में सजा का प्रारूप सुधारात्मक एवं प्रतिचारात्मक हो गया है। हमारा संविधान भी कैदी के साथ भेदभाव करना नहीं सिखाता बल्कि उसके आचरण में सुधार पर बल देता है। संविधान एवं कानून की अनेकों धाराएं एवं व्यवस्थाएं कैदी के व्यवहार, व्यक्तित्व विकास एवं सुधार पर अधिक बल देती हैं। इतना ही नहीं हमारा कानून मानवीय पहलुओं को प्राथमिकता देता है। संविधान एवं कानून गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर ही आरोप एवं सजा के स्वरूप की व्याख्या करता है। समाचार–पत्र न केवल सामान्य जनमानस को जानकारी प्रदान करते हैं अपितु उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। जो कि कारागार में निरूद्ध कैदियो के भी व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। समाचार पत्र ज्ञान के भंडार का एक सशक्त माध्यम है जो कि व्यक्ति को आत्ममंथन एवं चिंतन को प्रेरित करता है। साथ ही यह व्यक्तियों की अभिव्यक्तियों का एक सुलभ माध्यम है, जिसके माध्यम से वह अपने विचारों को बाहर प्रेषित कर सकता है एवं बाहर की दुनियाँ को अपने साथ जोड़े रखता है।

मुख्य शब्द : समाचार–पत्र, कारागार, कैदी, व्यक्तित्व विकास, जागरूकता, आत्मचिंतन, अभिव्यक्ति, सूचनाएं।

प्रस्तावना

कैदी शब्द सुनते ही हमारे दिलों–दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर उभर कर सामने आती है, जिसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है। कैदी की ये वेश–भूषा, भले ही हमने हकीकत में नहीं देखी हों, लेकिन फिल्मों और अखबारों में ऐसी तस्वीर देखकर हम कल्पना की दुनिया में कैदी की ऐसी ही तस्वीर बना लेते हैं, साथ ही उन्हें भय और हिकारत की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। सच तो यह है कि कैदी भी हमारे समाज का ही हिस्सा हैं, जो किसी जाने–अनजाने कारणों से समाज की परंपराओं और कानून तोड़कर अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि देश–समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कानून बनाए जाते

हैं और जिन व्यक्तियों ने कानून का उल्लंघन किया है, उन्हें कानून तोड़ने की सजा समाज से दूर रहकर कारागार में भुगतना होता है। ऐसा सदियों से होता आया है। वैदिक काल में भी जब कोई व्यक्ति समाज की परंपराओं को तोड़ता था तो उन्हें भी सजा देने का प्राविधान था। सजा कई प्रकार से दी जाती थी, जिनमें से, सामाजिक बहिष्करण, सामाजिक कार्यकलापों से उक्त आरोपी को दूर रखना आदि भी शामिल थे। परंतु कालांतर में अपराधियों के अपराध की सजा के लिए कारागृह या कारागार में रखने का प्राविधान किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कारागार में डाल दिया जाता था एवं उन्हें तरह–तरह की शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं भी दी जाती थी। स्वाधीनता के पश्चात कारागार अब यातनाओं का केन्द्र न होकर, सुधार गृह के रूप में तब्दील हो रहा है। प्राचीन समय में सजा का स्वरूप दमनात्मक था परंतु आधुनिक समय में सजा का प्रारूप सुधारात्मक एवं प्रतिचारात्मक हो गया है। हमारा संविधान भी कैदी के साथ भेदभाव करना नहीं सिखाता बल्कि उसके आचरण सुधार पर बल देता है। संविधान एवं कानून की अनेकों धाराएं एवं व्यवस्थाएं कैदी के व्यवहार, व्यक्तित्व विकास एवं सुधार पर अधिक बल देती हैं। इतना ही नहीं हमारा कानून मानवीय पहलुओं को प्राथमिकता देता है। संविधान एवं कानून गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर ही आरोप एवं सजा के स्वरूप की व्याख्या करता है। कानून के आधार पर बंदीगृह या कारागार में बंद कैदी को दो भागों में बांटा गया है।

1. विचाराधीन कैदी/बंदी
2. सजायाफ्ता कैदी/बंदी

आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं और मानवीय पहलुओं को देखें तो स्पष्ट होता है कि यह मानवता के संरक्षण के लिए हैं। निर्दोष के साथ अन्याय न हाने पाए और अपराधी बच भी न पाये, इसके लिए हमारे संविधान एवं कानून में पूरी व्यवस्था की गई है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समाज में जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसे हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। संविधान के भाग–3 में अनुच्छेद–12 से लेकर अनुच्छेद–35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है जो प्रत्येक भारतीय का अधिकार है। संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में अनुच्छेद–20 में अपराधों के लिए दोष–सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद–21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद–22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है जिसके तहत–

1. हिरासत में लेने का कारण बताना होगा।
2. 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा।
3. उसे पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार प्राप्त होगा आदि अधिकार भी शामिल हैं। हमारे संविधान में आम आदमी को ये अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकार के हनन के विरोध में या प्राप्त करने के लिए न्यायालय के शरण में जा सकता है।

कैदियों की दिशा और दशा को लेकर देश भर में समय–समय पर चर्चा–परिचर्चा चलती रहती है। कैदियों की सुविधा और अपराध की श्रेणी को देखते हुए देश में मुख्य रूप से 5 तरह की कारागार की व्यवस्था है–1. केन्द्रीय कारागार 2. राजकीय कारागार 3. जिला कारागार 4. आदर्श कारागार 5.खुली कारागार। इसके अलावा महिला कारावास एवं बाल सुधारगृह की भी व्यवस्था हर राज्य में व्यवस्था की गई है। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि कारागारों में क्षमता से ज्यादा कैदी रखे जाते हैं। जिन्हें समाचार–पत्रों एवं न्यूज चैनलों में लगातार कवरेज दिया जाता है।

भारत में समाचार–पत्र

भारत में विधिवत पत्र और समाचार–पत्र का आरंभ जिस कालखंड में हुआ, उस समय समाज को जागरूक करने के लिए एक सशक्त एवं सुलभ माध्यम की आवश्यकता थी। एक ऐसा माध्यम– जो आम जनमानस को आम से एवं खास जनमानस को आम जनमानस से जोड़े। जनभावनाओं एवं सूचनाओं को सुदूर क्षेत्र तक पहुंचाना एवं बिना शोर किये सब कुछ बोल देना, समाचार–पत्र का मुख्य उद्देश्य बना जो कि कभी स्वंय क्रांतिकारी बना और कभी क्रांति का माध्यम। स्वतंत्रता संग्राम के समय समाचार–पत्र, मिशन बन गया एवं यह लोगों की भावनाओं एवं विचारों को समाज के मुख्य पटल पर उकेरने लगा। देश स्वतंत्र हुआ एवं समाचार–पत्र की भूमिका पुनः बदली एवं देश को विकास के पथ पर लाते–लाते संचार का यह माध्यम कब हमारे दैनिक जीवन का अंग बन गया, इसका पता ही नहीं चला। पॉल वेलरी के विचार समाचारों का महत्व तथा उनके जीवंतता और आवश्यकता को भलीभांति प्रकट करता है। पॉल वेलेरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "हर सुबह यदि हमें किसी बड़ी घटना की रोचक जानकारी नहीं मिले, तो हमें एक प्रकार की रिक्तता का अनुभव होता है और हम निराश हो जाते हैं, कि आज हमें समाचार–पत्र में किसी भी प्रकार की कोई रोचक सामग्री नहीं मिली।"

समाचार–पत्र का महत्व एवं उपयोगिता

समाचार–पत्र का लोकतंत्र में विशेष महत्व हैं, इसीलिए समाचार–पत्र (प्रेस) को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ भी कहा गया है। मनुष्य अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी पाने का जिज्ञासु होता है, जिसे हम समाचार–पत्र के विभिन्न माध्यमों से ही प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में समाचार–पत्र की उपयोगिता तीव्र गति से बढ़ रही है, जिससे इस बात को यह स्पष्ट है कि भविष्य में इसका महत्व और बढ़ेगा। आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भले ही जनमानस पर अपनी पैठ बना रही हो परंतु अभी भी पाठकों की विश्वसनीयता समाचार–पत्रों पर ही है। समाचार–पत्र का प्रसार आज के समय में वेब–पॉर्टल, ब्लॉग, ई–मैगजीन, ई–अखबार के माध्यम से हो रहा है, जिसके लिए न तो कागजों को आवश्यता है और न ही स्याही की। बल्कि यह एक क्लिक पर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। सुबह के समय चाय

के साथ अखबार पढ़ने को न मिले तो मन विचलित हो जाता है। समाचार–पत्र का क्षेत्र इतना व्यापक है कि मानव जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं रह गया है। यह समाज के विभिन्न पहलुओं तथा राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय समस्याओं के प्राकट्य का मंच तो है ही साथ ही सामाजिक जागरूकता में भी समाचार–पत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिस कारण वह अपने चारों ओर घटित हो रही घटनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक रहता है। क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे और किसके, समाचार–पत्र का मूल तत्व हैं। इसी के माध्यम से समाज में घटित होने वाली तमाम अच्छी–बुरी, सुखद–दुःखद घटनाओं को जाना जा सकता है। इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी समाचार–पत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका व्यापक प्रभाव हमारे समाज पर देखा जा सकता है। इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्रांतिकारी विकास तथा नयी–नयी तकनीकी के आकर्षण के बावजूद भी प्रिंट मीडिया का अपना अलग महत्व है, जो कि हमारे समाज के विकास में भी भागीदार बन रहा है।

उत्तराखंड में कारागार और कैदियों की स्थिति

उत्तराखंड मध्य हिमालय के गोद में बसा एक सुंदर राज्य है। उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके नये राज्य का दर्जा मिला। उस समय नये राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था, परंतु जनवरी 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तराखंड प्रशासनिक दृष्टि से दो मंडलों यथा कुमांऊ मंडल और गढ़वाल मंडल में विभक्त है। 13 जिलों वाला यह राज्य सामरिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सीमा, चीन, तिब्बत और नेपाल से लगती है। गढवाल मंडल में 7 जनपद देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, चमोली, रूद्रप्रयाग और उत्तरकाशी हैं, जबकि कुमांऊ मंडल में नैनीताल, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, चम्पावत, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर हैं।

उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में जिला कारागार हो, यह सरकार का संकल्प है, परंतु नवोदित राज्य होने के कारण सभी जनपदों में अभी तक जिला कारागार की स्थापना नहीं हो पायी है।

उत्तराखंड के कारागारों का विवरण

1.	जिला कारागार	07
2.	निर्माणाधीन जिला कारागार	02
3.	प्रस्तावित जिला कारागार	04
3.	केन्द्रीय कारागार	01
4.	उपकारागार	02
5.	प्रस्तावित उपकारागार	03
6.	खुले कारागार	01
7.	आदर्श कारागार	–

(आंकडा सूचना का अधिकार के तहत मई 2015 के अनुसार संकलित)

कारागार व कैदियों का इतिहास

इतिहास के अन्वेष्ण पर पता चलता है कि महाजनपद के काल में पहली बार कारागार शब्द की चर्चा हुई। महाजनपद काल में पहली बार कारागार की बात सामने आयी। इस कालखंड के इतिहास से पता चलता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता राजा बिम्बिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। इसके पश्चात् नंद शासकों ने भी कारागार का निर्माण कराया। इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की मां को भी कैद में रखा गया था। घनानंद अपने विरोधियों को कारागार में डाल देते थे और उन्हें यातनाएं भी दी जाती थी। जबकि मौर्यकाल में कैदियों को यातनाएं नहीं दी जाती थी, इसका साक्ष्य मेगस्थनीज की किताब इंडिका में मिलता है। समय के साथ–साथ कैदियों के लिए और अधिक कारागार भी बने और इन्हें काला पानी से लेकर द्वीपों पर मजदूरी के लिए ले जाया जाने लगा। जिस वक्त अंग्रेज देश पर हुकूमत कर रहे थे उस वक्त ऐसी घटनाओं में काफी वृद्धि हुई। लेकिन आजादी के बाद कारागार का मुख्य का मुख्य उद्देश्य कैदियों का सुधार बना। यानि समाज में जब भी को व्यक्ति अपराध की दुनिया में प्रवेश करता है तो उसे गलत रास्ते से निकालकर, सही रास्ते तक पहुंचाना और फिर से उन्हें इस समाज में स्थापित करना कारागार का प्रमुख लक्ष्य है। कारागार राज्य का विषय है। इसी लक्ष्य को केन्द्र में रखकर राज्यों में कई तरह कारागार बनाए गये। जो निम्न प्रकार हैंः–

1. केन्द्रीय कारागार
2. जिला कारागार
3. उपकारागार
4. आदर्श कारागार
5. खुले कारागार

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित हैं–

1. कारागार में कैदियों को सूचना प्राप्ति के साधनों का अध्ययन करना।
2. समाचार–पत्रों से कैदियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
3. समाचार–पत्रों का कैदियों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।
4. कैदियों में जागरूकता हेतु, समाचार–पत्रों की भूमिका का अध्ययन करना।

निदर्श एवं अध्ययन प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में सोउद्देश्य निदर्शन–प्रणाली के आधार पर 50 कैदियों का अध्ययन के लिए चुनाव किया गया है जिनका कि साक्षात्कार–अनुसूची के माध्यम से सहभागी अवलोकन द्वारा अध्ययन किया गया है। अध्ययन प्रविधि के रूप में अन्वेष्णात्मक एवं व्याख्यात्मक अनुसंधान प्रविधि का चुनाव किया गया है।

विश्लेषण एवं अनुसंधान प्राप्तियां

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया का स्थान आता है। यद्यपि संविधान में मीडिया के चौथे स्तम्भ होने की बात का उल्लेख कहीं नहीं है, परंतु

सामाजिक उत्तरदायित्व, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने में मीडिया की अहम भूमिका की कारण हम इसे Forth piller of Constitution कहते हैं। समाचार–पत्र ही लोकतंत्र के प्रमुख तीन स्तम्भों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है। मीडिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं– इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेलिविजन एवं न्यू मीडिया तंत्र को रखा जाता है। जबकि समाचार पत्र व पत्रिकाओं को प्रिंट मीडिया में रखा जाता है। आज दुनिया बदल रही है तो मीडिया में भी काफी बदलाव महसूस किये जा सकते हैं। न्यू मीडिया के आगमन से आज हर कोई पत्रकार है और पत्रकारिता कहीं आसान है तो कहीं बेहद ही कठिन। आज व्यक्ति सूचना के अनेकों माध्यमों का प्रयोग कर रहा है जैसे–टेक्स्ट मैसेज, वीडिया मैसेज, वीडियो कॉलिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, लाईन, हाईक आदि सोशल साईट्स और व्यक्तिगत अन्तःक्रियाएं आदि। बावजूद इनके आज भी समाचार पत्र ने अपना पहचान कायम रखी है तो यह इसकी समाजिक स्वीकारिता ही है। आज समाचार पत्र सिर्फ अखबार नहीं है, ये जीवन की वो कड़ी है, जिनसे जुड़ने की कारण ही मीडिया एवं समाचार–पत्र जनमाध्यम बन गया है। मीडिया एवं समाचार–पत्र ही वह माध्यम है जो समाज, संस्कृति, राजनीति एवं समाज निर्माता के बीच सेतु का काम कर रहा है। समाचार–पत्र की महती भूमिका समाज निर्माण में है। इसलिए मीडिया एवं समाचार–पत्र वर्तमान में साधन ही नहीं साध्य भी हैं।

समाचार–पत्र सूचना प्राप्ति के सशक्त माध्यम के रूप में

कारागार में समाचार–पत्र सूचना प्राप्ति के एक प्रमुख माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चूंकि कारागारों में रेडियो या टेलिविजन का प्रयोग कैदियों के लिए बहुत ही कम होता है। बहुधा समय निश्चित कर दिया जाता है, जिस समय वो टेलीविजन देख सकते हैं परंतु रेडियो के प्रयोग पर नियमतः प्रतिबंध होता है। ऐसी अवस्था में समाचार–पत्र ही कैदियों के लिए सूचना प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। नीचे दी गई तालिका सं0–1 से यह स्पष्ट होता है कि समाचार–पत्र सूचना प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हैं–

तालिका संख्या–01

सूचना प्राप्ति का सशक्त माध्यम	उत्तर (संख्या एवं प्रतिशत में)
समाचार–पत्र	40(80%)
टेलीविजन	05(10%)
रेडियो	00(00%)
पत्रिकाएं	05(10%)
योगः–	50(100%)

प्राथमिक स्रोत

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि समाचार पत्र ही सूचना प्राप्ति का सशक्त माध्यम है जिसे कि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है, वहीं टेलिविजन एवं पत्रिकाओं को 10 प्रतिशत ही कैदी सूचना प्राप्ति का माध्यम मानते हैं।

समाचार–पत्रों का कैदियों के जीवन पर प्रभाव

आज के आधुनिक समय में समाचार–पत्र व्यक्ति के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। कारागार के अंदर समाचार–पत्र ही वह माध्यम है जो कैदियों को बाह्य जीवन–जगत एवं घटनाओं से रूबरू कराता है। समाचार–पत्र के ही माध्यम से व्यक्ति जानकारियों एवं कई अन्य विषयों पर ठोस एवं प्रामाणिक सामग्री प्राप्त करता है, साथ ही आज के समय में समाचार–पत्र समाज के सभी आयामों को समाहित करते हैं जैसे –मनोरंजन, राजनीति, खेल इत्यादि। नीचे दी गई तालिका संख्या–2 इस बात को इंगित करती है कि समाचार–पत्रों का कैदियों के जीवन पर क्या प्रभाव हैः–

तालिका संख्याः–2

समाचार–पत्रों की कैदियों की जीवन पर प्रभाविता	उत्तर (संख्या एवं प्रतिशत में)
हाँ	45(90%)
नहीं	05(10%)
आंशिक रूप से	00(00%)
योगः–	50(100%)

प्राथमिक स्रोत

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 90 प्रतिशत कैदी यह मानते हैं कि समाचार पत्र उनके जीवन को प्रभावित करते हैं एवं वे समाचार–पत्रों को एक ऐसा माध्यम स्वीकार करते हैं जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है। वहीं 10 प्रतिशत कैदी यह मानते हैं कि समाचार–पत्रों का उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पडता है क्योंकि वह यह मानते हैं, कि आज के समय में सूचनाएं केवल समाचार–पत्रों द्वारा केवल भ्रामक प्रचार किया जाता है जिसका उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है।

समाचार–पत्रों का कैदियों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक प्रभाव

कैदियों के व्यक्तित्व विकास में समाचार–पत्रों का अहम योगदान है। कारागार के चारदिवारी के अंदर कैदी आम दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाता है। ऐसे में बाहरी दुनिया के सकारात्मक एवं अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी का एक मात्र प्रमुख स्त्रोत समाचार–पत्र ही हैं, जो इन्हें समाज से जोड़ता भी है और सूचना भी मुहैया कराता है। इस तरह से कैदियों की समाज की अच्छी–बुरी जानकारी जो इन्हें समाचार–पत्रों से प्राप्त होते हैं, जो इनके जीवन को भी सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। नीचे दी गई तालिका संख्या–3 समाचार–पत्रों का कैदियों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती हैः–

तालिका संख्याः–3

कैदियों के व्यक्तित्व विकास में समाचार–पत्रों का सकारात्मक प्रभाव	उत्तर (संख्या एवं प्रतिशत में)
हाँ	40(80%)
नहीं	05(10%)
आंशिक रूप से	05(10%)
योगः–	50(100%)

प्राथमिक स्रोत

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत कैदी यह मानते हैं कि समाचार पत्र उनके व्यक्तित्व विकास को सकारात्मक प्रभावित करते हैं एवं वे समाचार–पत्रों के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। वहीं 10 प्रतिशत कैदी समाचार–पत्र की प्रभाव को नकारते हैं, इनका मानना हैं कि समाचार–पत्रों का उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि आज भी समाचार–पत्र संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जबकि 10 प्रतिशत कैदी मानते हैं कि समाचार–पत्र उनके जीवन को मात्र आंशिक रूप से ही प्रभावित करते हैं।

कैदियों में जागरूकता में समाचार–पत्रों की भूमिका

मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में घट रही अच्छी और बुरी दोनों घटनाओं का प्रभाव उनके विचार और व्यवहार पर पड़ता है। कैदी अपनी गलती की सजा कारागार या बंदीगृह में काट तो रहे होते हैं, लेकिन वे भी कारागार से बाहर अपने घर, गली–मोहल्ले, समाज की सूचनाओं से भिज्ञ रहना पसंद करते है। कैदी भी अपने समाज के प्रति जागरूक रहना चाहते हैं। उनके इस जिज्ञासा को समाचार–पत्र शांत करता है। समाचार–पत्र उन्हें समाज की सूचनाओं को उन तक पहुंचाता है। उन्हें सामाजिक प्राणी के रूप समाज के अच्छे बुरे कार्य के प्रति आगाह करता है, जागरूक बनाता है, ताकि सजा काटने के बाद वो भी समाज के प्रति एक सभ्य नजरिया तैयार कर पाये और समाज में आम सुखमय जिंदगी फिर से नई शुरूआत कर पाये। तालिका संख्या–4 कैदियों में जागरूकता में, समाचार–पत्रों की भूमिका को व्याख्या करती हैः–

तालिका संख्याः–4

कैदियों के जागरूकता में समाचार–पत्रों की भूमिका	उत्तर (संख्या एवं प्रतिशत में)
हाँ	38(76%)
नहीं	05(10%)
आंशिक रूप से	07(14%)
योगः–	50(100%)

प्राथमिक स्रोत

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 76 प्रतिशत कैदी यह मानते हैं कि समाचार पत्र उन्हें जागरूक करते हैं एवं वे समाचार–पत्रों के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। वहीं 10 प्रतिशत कैदी समाचार–पत्र की प्रभाव को नकारते हैं, इनका मानना हैं कि समाचार–पत्रों का उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि आज भी समाचार–पत्र संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जबकि 14 प्रतिशत कैदी मानते हैं कि समाचार–पत्र उन्हें मात्र आंशिक रूप से ही जागरूक करते हैं।

निष्कर्ष

"वर्ष दर वर्ष कारावास की सजा भोग रहे व्यक्तियों ने किसी बच्चे, स्त्री या किसी पशु का चेहरा नहीं देखा है। व्यक्तियों की जिन्दगी आत्माहीन हो जाती है एवं केवल मशीनी रूटीन बन जाती है। समय–समय पर उनके शरीर का वजन लिया जाता है पर क्या आत्मा और मन का वजन लिया जाता है, जो डर व अलगाव के वातावरण में निरंतर क्षीण होती रहती है।"

पं0 नेहरू की वर्षों पूर्व लिखी गई कारागार जीवन की ये बातें हर युग की तस्वीर को उकेरती है। सुधार के कई उपायों के बावजूद भी कैदियों की स्थितियों में बहुत विशेष बदलाव नहीं आये हैं। सुप्रिम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में लिखा कि कारागार के कानून पत्थरों से बने हैं और आवश्यक है कि कोर्ट इस तथ्य पर बल दें कि कानून की नजर में कैदी भी इंसान है और कारागार के पथभ्रष्टों को दंडित करें। कोर्ट का यह मानना है कि कारागार के भीतर भी व्यक्ति को उसके मूलभूत आजादी का अधिकार है और उसके उल्लंघन के लिए वह कोर्ट में याचिका कर सकता है।

आये दिन समाचार पत्रों में निहत्थें युवकों को कारागार में बंद करने एवं उनपर अत्याचार की जाने की खबरें छपती है। आज के समय में समाचार–पत्र एक सशक्त माध्यम है, लोगों को जागरूक करने का एवं उनके व्यक्तित्व विकास का। प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कारागार में समाचार–पत्र सूचना एवं ज्ञान का एक सशक्त माध्यम है तथा यह कैदियों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करता है। समाचार–पत्र कैदियों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन रहा है। आज के समय में कारागार में निरूद्ध अधिकतर कैदी साक्षर हैं एवं अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग एवं जागरूक हैं। समाचार–पत्र ही वह माध्यम बन रहा है जिसके द्वारा कारागार की बंद दीवारों के मध्य कैदी बाह्य जीवन–जगत की घटनाओं को जान रहा है, उनका मंथन कर रहा है एवं अपनी भावनाओं को भी पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

त्रिपाठी, एच0एन0(2016)–भारत का संविधान, पुस्तक सदन प्रकाशन, प्रयागराज।

नेहरू, जवाहर लाल(1936)–एन आटोबायोग्राफी, द बॉडलेहेड, इंडिया, ISBN 978-0-19-562361-1

वेलरी, पॉल(1950)–सलेक्टेड राईटिंग्स, वॉल्यूम 184, न्यू डाईरेक्शन्स पब्लिकेशन, मिशीगन, अमेरिका

उत्तराखंड सरकार की प्रगति आख्या–2015–2016 एवं 2016–2017

अग्रवाल एस.एन.(2007)–द हीरोज़ ऑफ सेल्युलर जेल, रूपा पब्लिकेशन इंडिया, ASIN:B01CIBG2DW

शर्मा, आर.एस.(2006)–इंडियाज एसियंट पास्ट, ऑक्सफोर्ड प्रेस, इंडिया, ISBN -109780195687859, ISBN-13 978-0195687859

मेगस्थनीज (2012)–इंडिका, नाबु प्रेस, इंडिया, ISBN -10-1272848396, ISBN-13 978-1272848392

चौधरी, सुनेत्रा(2017)–बिहाइन्ड बार्स, रोली बुक्स, इंडिया, ISBN -10-9351941310, ISBN-13 978-9351941316

बेदी किरण (2011)–तिहाड़ जेल, ऑरियंट ब्लैक स्वान, इंडिया, ISBN -10-9788125042181, ISBN-13 978-8125042181